

तथ्य:

विकलांगता कर्मचारी नियमन योजना (Disability Worker Regulation Scheme)

विकलांगता कर्मचारी नियमन योजना की शुरूआत 1 जुलाई 2020 को हुई।
इसमें शामिल है:

- सभी विकटोरियाई विकलांगता कर्मचारियों के लिए एक आचार-संहिता
- प्रदाताओं और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अधिसूचना आवश्यकताएँ ताकि वे विकलांगता कर्मचारी द्वारा सुरक्षा को सम्भवतः खतरे में डालने से जुड़ी शंकाओं की सूचना दे सकें
- एक स्वतंत्र शिकायत सेवा जहाँ किसी भी विकटोरियाई विकलांगता कर्मचारी से सम्बन्धित गुणवत्ता और सुरक्षा चिंताओं की सूचना दी जा सके।

संहिता के बारे में

आचार-संहिता गैर-पंजीकृत विकटोरियाई विकलांगता कर्मचारियों के लिए आवश्यक तौर पर पालन किए जाने वाले दायित्वों को स्थापित करके नुकसान और दुर्व्यवहार से विकलांगता ग्रस्त लोगों की सुरक्षा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आचार-संहिता सभी विकलांगता कर्मचारियों पर लागू होगी, चाहे उनके लिए धन-राशि NDIS के माध्यम से या अन्य प्रदाताओं द्वारा दी जा रही हो।

विकलांगता सेवा सुरक्षा-उपाय आचार-संहिता (Disability Service Safeguards Code of Conduct) (संहिता - Code) विकलांगता सेवा सुरक्षा-उपाय नियमन 2020 (Disability Service Safeguards Regulations 2020) में निर्धारित है, जो विकलांगता सेवा सुरक्षा-उपाय अधिनियम 2018 (Disability Service Safeguards Act 2018) (अधिनियम -Act) के अधीन बनाए गए नियम हैं।

संहिता सभी विकटोरियाई विकलांगता कर्मचारियों द्वारा आवश्यक तौर पर पालन किए जाने वाले दायित्व निर्धारित करती है और विकलांगता ग्रस्त लोगों को नुकसान और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखने के लिए मानक उपलब्ध कराती है।

संहिता का निर्माण NDIS गुणवत्ता और सुरक्षा-उपाय संरचना को पूरक बनाना है ताकि विकटोरिया में सुरक्षित और कुशल विकलांगता कार्यबल का प्रसार किया जा सके। संहिता NDIS आचार-संहिता को अपनाती है, विकटोरिया में कर्मचारी आचरण के लिए आवश्यकताओं में अनुकूलता का प्रसार करती है, चाहे उन्हें NDIS के माध्यम से या अन्य प्रदाताओं से धन-राशि मिलती हो।

आचार-संहिता के अन्तर्गत कौन-कौन आता है?

संहिता विकटोरिया में विकलांगता सेवाओं में रोज़गार प्राप्त या अन्यथा भाग लेने वाले सभी विकलांगता कर्मचारियों पर लागू होती है, चाहे उनके वित्त-पोषण का स्रोत कोई भी हो।

अधिसूचनाओं के बारे में

कोई भी हमें विकलांगता कर्मचारी द्वारा सम्भवतः सुरक्षा को खतरे में डाले जाने के बारे में बता सकता है। इसे 'अधिसूचना' कहते हैं। विकलांगता सेवा सुरक्षा-उपाय अधिनियम 2018 के अधीन, विकलांगता कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए यह ज़रूरी है कि यदि उन्हें लगता है कि किसी कर्मचारी ने निश्चित प्रकार के दुर्व्यवहार में भाग लिया है तो वे विकटोरियाई विकलांगता कर्मचारी आयोग को इसकी सूचना दें।

विकलांगता कर्मचारी नियमन योजना का यह भाग विकटोरियाई विकलांगता कर्मचारी आयोग को विकलांगता सेवा उपभोक्ताओं को संभावित खतरों से अवगत कराने में सहायता करता है ताकि हम विकलांगता से ग्रस्त लोगों को नुकसान पहुँचने से बचा सकें और सुरक्षित कर सकें। यह आवश्यक है कि अधिसूचना उस स्थिति में की जाए जब कोई विकलांगता कर्मचारी या नियोक्ता यथोचित तौर पर यह मानता हो कि विकलांगता कर्मचारी ने सूचना देने योग्य आचरण में भाग लिया है।

अधिक सशक्त, सुरक्षित, विकलाँगता क्षेत्र का निर्माण करने में सहायता दें।



विक्टोरियाई विकलाँगता कर्मचारी आयोग अब विक्टोरिया में विकलाँगता कर्मचारियों से सम्बन्धित शिकायतें स्वीकार करता है।

हमारी शिकायत सेवा स्वतंत्र, निष्पक्ष और निःशुल्क है। व्यक्तिगत विकलाँगता कर्मचारियों से सम्बन्धित शिकायतों का प्रबंध करने में, हमारा उद्देश्य विकलाँगता कार्यबल की गुणवत्ता, सुरक्षा, अनुक्रियता और सुस्थिरता का प्रसार करना है।

स्वैच्छिक विकलाँगता कर्मचारी पंजीकरण 1 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है

हम समझते हैं कि COVID-19 महामारी विकलाँगता कर्मचारियों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित कर रही है और इस क्षेत्र में तनाव तथा अनिश्चितता पैदा कर रही है। 12 महीनों के लिए पंजीकरण को विलंबित करने से कार्यबल को नई पंजीकरण योजना में भाग लेने से पहले संकटकाल के बाद उबरने के लिए समय मिलेगा।

विक्टोरियाई विकलाँगता कर्मचारी आयोग के बारे में

विक्टोरियाई विकलाँगता कर्मचारी आयोग एक नया स्वतंत्र निकाय है। आयुक्त Dan Stubbs की अगुवाई में, इसकी भूमिका विकलाँगता से ग्रस्त लोगों की बेहतर रक्षा करना तथा अधिक सशक्त, सुरक्षित, विकलाँगता क्षेत्र का निर्माण करना है।

यह आचार-संहिता, विकलाँगता से ग्रस्त लोगों का समर्थन करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रत्याशाएँ स्थापित करने, और शिकायत सेवा के लिए जिम्मेदार है। अधिसूचित किए जाने पर, इसके पास जांच-पड़ताल करने और लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कर्मचारियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है।

हमारी वेबसाइट vdwc.vic.gov.au देखें या हमें 1800 497 132 पर फोन करें
हमारी [समाचार-पत्रिका](#) पर साइन अप करें
हमें फोलो करें



vdwc.vic.gov.au
Call 1800 497 132

